"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2007—ज्येष्ठ 11, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्रमांक ई-01-01/2007/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-4-2007 के द्वारा श्री दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, भा. प्र. से. (1991) की पदस्थापना क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सरगुजा (अंबिकापुर) के पद पर की गयी है एवं श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991) की पदस्थापना क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर (जगदलपुर) के पद पर की गयी है.

2. उक्त पद पर श्री दुर्गेश चन्द्र मिश्रा एवं श्री आर. एस. विश्वकर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सरगुजा (अंबिकापुर) एवं क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर (जगदलपुर) के असंवर्गीय पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-04-2007 के द्वारा श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से. (1995) की पदस्थापना प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर की गयी हैं एवं श्री एस. के. राजू, भा. प्र. से. (1998) की पदस्थापना मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के पद पर की गई है.

4. उक्त पद पर श्री गौरव द्विवेदी एवं श्री एस. के. राजू द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2007

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.—श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 28-5-2007 से 15-6-2007 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27 मई 2007 तथा दिनांक 16 एवं 17 जून 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जैन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2007

क्रमांक ई-7/33/2004/1/2.—श्री एम. आर. ठाकुर, भा. प्र. से., सचिव, छ. ग. लोक आयोग, रायपुर को दिनांक 03-5-2007 से 18-5-2007 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02, 19 एवं 20 मई 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर आगामी आदेश तक सचिव, छ. ग. लोक आयोग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2007

क्रमांक ई-7-6/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 21-5-2007 से 26-5-2007 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 एवं 27 मई 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2007

क्रमांक ई-7/41/2004/1/2.—श्री मनोहर पाण्डे, भा. प्र. से., संचालक, लोक शिक्षण, रायपुर को दिनांक 21-5-2007 से 31-5-2007 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20-05-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डे, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक संचालक, लोक शिक्षण, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाण्डे, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डे, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2007

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 23-5-2007 से 07-06-2007 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किय जाता है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर विदेश (जापान) भ्रमण की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 09-05-2007 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2007

क्रमांक 1326/873/2007/1/2.—इस विभाग का आदेश दिनांक 17-04-2007 द्वारा श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से., तत्का. कलेक्टर कोरबा को दिनांक 07-05-2007 से 18-05-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2007

क्रमांक 269/269/2007/1-8/स्था.—श्री आर. के. टम्टा (भावसे) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 1-5-2007 से 15-5-2007 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टम्टा को सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. टम्टा अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2007

क्रमांक 271/352/2007/1-8/स्था.—श्री के. सुब्रमणियम (भावसे) सचिव, मुख्यमंत्री, को दिनांक 1-5-2007 से 5-5-2007 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सुब्रमणियम को सचिव, मुख्यमंत्री, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सुब्रमणियम अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, मुख्यमंत्री, के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2007

क्रमांक 273/316/2007/1-8/स्था.—श्री एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 3-5-2007 से 18-5-2007 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. चक्रवर्ती, अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2007

क्रमांक 274/358/2007/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 14-05-2007 से 30-05-2007 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2007

क्रमांक 276/353/2007/1-8/स्था.—श्री अनूप श्रीवास्तव (भावसे) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 9-4-2007 से 20-4-2007 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनूप श्रीवास्तव (भावसे), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनूप श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2007

क्रमांक 276/165/2007/1-8/स्था.—श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, स्टाफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, आवास पर्यावरण विभाग को दिनांक 21-5-2007 से 23-06-2007 तक 34 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, स्टाफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, आवास पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, आवास पर्यावरण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2007

क्रमांक 278/51/2007/1-8/स्था.—श्री के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 17-5-2007 से 26-05-2007 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. सरोज, को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. सरोज, अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2007

क्रमांक एफ 3-23/2007/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कालम नं. (3) में वर्णित पुलिस थाना के सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 3 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करते हुए कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया)	स्थानीय क्षेत्र ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पुलिस थाना लोरमी	थाना मुंगेली तह. लोरमी	डिंडौरी	2
			नौरंगपुर	2
			राम्हेपुर (ख)	2
			आछी डोंगरी	2
			करूहानार	2
			फौबदारकापा	2
			पिथमपुर	2
			भस्करा	2
			खैराखुर्द	2
			लीलापुर	2
			कुटेला टोला	2
			दाउकापा	2
			मुछेल,	2
			सिलतरा	2
			चकला	2
			जोतपुर	2
			छितापार	2
			इलचपुर	2
			गांतापार	2
			गैलूगांव	8
			रजपालपुर	8
			बोडतराकला	9
			हरदी	9
			रैताखुर्द	9
			पथरी	9
			धरमपुरा	9
			घांठापानी	9
			सेनगुड़ा	9
			खपरीखुर्द	9
			लाखापुरी	9
			लालसाय कापा	9
			फुलझर	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			फुलवारी	9
			चिल्फी	10
			सहसपुर	10
			खपरीकला	10
			डूमरहा	10
			परदेशीकापा	10
			बैजलपुर	10
			कान्हरपुर	10
			डाढ़ीपारा	10
			नथेलापार	10
			खेकतरा	10
			खैरवार खुर्द	10
			रंगियापारा	10
			गोल्हापारा	10
			मेंघापारा	10
			पठोली	10

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एन. एक्का, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2007

निधन सूचना

क्रमांक 4908/दो-गृह/रापुसे/07.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ओ. पी. राठौर (भा.पु.से.) महानिदेशक पुलिस छत्तीसगढ़ के दिनांक 21 मई, 2007 को आकस्मिक निधन पर दु:ख व्यक्त करता है.

श्री राठौर का जन्म 15 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश में हुआ. आपने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी. श्री राठौर ने भारतीय पुलिस सेवा 1973 में ज्वाइन की. वे सरगुजा, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर एवं ग्वालियर में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे. श्री राठौर ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पुलिस सलाहकार एवं पुलिस आयुक्त के रूप में 08 वर्ष तक कार्य किया.

छत्तीसगढ़ में श्री राठौर 15 जुलाई, 2004 से निधन दिनांक 21 मई, 2007 तक पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत रहे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2007

क्रमांक/1756/बी-11/8/2006/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्र. 13011/15/99 क्रेडिट-II, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के अंतर्गत खरीफ 2007 फसलों के लिये संलग्न अनुसूची के अनुसार तहसीलों को उनके सम्मुख दर्शाई गई खरीफ फसल के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2007 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्रमांक (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	परिभाषित तहसीलें (4)
1.	धान असिंचित	रायपुर	1. रायपुर
			2. आरंग
			3. तिल्दा
			4. अभनपुर
			5. सिमगा
			6. भाठापारा
			7. बलौदाबाजार
			8. पलारी
			9. कसडोल
			10. बिलाईगढ़
			11. राजिम
			12. गरियाबंद
			13. देवभोग
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. डौण्डीलोहारा
			5. धमधा
			6. बालोद
			7. गुरूर
			8. बेमेतरा
			9. बेरला
			10. साजा
			11. नवागढ़
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. डोंगरगांव
			4. खैरागढ़
			5. छुईखदान
			6. मोहला
			7. अम्बागढ़ चौकी
			8. मानपुर
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
			2. सरायपाली
			3. बसना
		धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
			3. नगरी

(1)	(2)	(3)	(4)
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोण्डागांव
			3. केशकाल
			4. नारायणपुर
		उत्तर बस्तर कांकेर	1. कांकेर
			2. चारामा
			3. नरहरपुर
			4. भानुप्रतापपुर
			5. अंतागढ़
			6. पखांजूर
		दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	1. दन्तेवाड़ा
			2. भोपालपट्टनम
			3. बीजापुर
			4. कोन्टा
		बिलासपुर	1. बिलासपुर
			2. पेण्ड्रारोड
			3. कोटा
			4. तखतपुर
			5. मुंगेली
			6. लोरमी
			7. बिल्हा
			8. मस्तुरी
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
			2. नवागढ़
			3. पामगढ़
			4. चांपा
			5. सक्ती
			6. मालखरौदा
			7. जैजेपुर
			8. डभरा
		कोरबा	1. कोरबा
			2. कटघोरा
			3. पाली
			4. करतला
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. राजपुर
			3. लुण्ड्रा

(1)	(2)	(3)	(4)
			4. सीतापुर
			5. सूरजपुर
			6. प्रतापपुर
			7. पाल
			8. वाड्रफनगर
			9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुंठपुर
			2. सोनहत
			3. मनेन्द्रगढ़
			4. भरतपुर
		रायगढ़	1. रायगढ़
			2. सारंगढ़
			3. खरसिया
			4. घरघोड़ा
			5. लैलूंगा
			6. धरमजयगढ़
		जशपुर नगर	1. जशपुर
			2. कुनकुरी
			3. बगीचा
			4. पत्थलगांव
2.	धान सिंचित	रायपुर	1. रायपुर
			2. आरंग
			3. तिल्दा
			4. अभनपुर
			5. सिमगा
			6. भाठापारा
			7. बलौदाबाजार
			8. पलारी
			9. कसडोल
			10. बिलाईगढ़
			11. राजिम
			12. गरियाबंद
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. डौण्डीलोहारा
			5. धमधा
			6. बालोद
			7. गुरूर
			8. बेमेतरा
			9. बेरला

(1)	(2)	(3)	(4)
			10. साजा
			11. नवागढ़
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. डोंगरगांव
			4. खैरागढ़
			5. छुईखदान
			6. मोहला
			7. अम्बागढ़ चौकी
			8. मानपुर
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
			2. सरायपाली
			3. बसना
		धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
			3. नगरी
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कबीरधाम (कवर्धा)
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदेलपुर
			2. केशकाल
		उत्तर बस्तर कांकेर	1. कांकेर
			2. चारामा
			3. नरहरपुर
			4. पखांजूर
			5. भानुप्रतापपुर
		दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	1. भोपालपट्टनम
		बिलासपुर	1. बिलासपुर
			2. पेण्ड्रारोड
			3. कोटा
			4. तखतपुर
			5. मुंगेली
			6. लोरमी
			7. बिल्हा
			8. मस्तुरी
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
			2. नवागढ़
			3. पामगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
			4. चांपा
			5. सक्ती
			6. मालखरौदा
			7. जैजेपुर
			8. डभरा
		कोरबा	1. पाली
			2. करतला
			3. कोरबा
			4. कटघोरा,
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सूरजपुर
		कोरिया	1. बैकुंठपुर
		रायगढ़	1. रायगढ़
			2. सारंगढ़
			3. खरसिया
			4. लैलूंगा
			5. धरमजयगढ़
			6. घरघोड़ा
		जशपुर नगर	1. कुनकुरी
			2. बगीचा
3.	कोदो कुटकी	रायपुर	1. सिमगा
			2. देवभोग
			3. गरियाबंद
		दुर्ग	1. डौण्डीलोहारा
			2. बेमेतरा
			3. साजा
			4. नवागढ़
			5. धमधा
			6. बालोद
			7. बेरला
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
			5. मोहला
			6. अम्बागढ़ चौकी
			7. मानपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कबीरधाम (कवर्धा)
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोण्डागांव
			3. केशकाल
			4. नारायणपुर
		उत्तर बस्तर कांकेर	1. कांकेर
			2. नरहरपुर
			3. पखांजूर
			4. भानुप्रतापपुर
			5. अंतागढ़
		दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	1. दन्तेवाड़ा
			2. कोन्टा
			3. बीजापुर
		बिलासपुर	1. मुंगेली
			2. कोटा
			3. पेण्ड्रारोड
		कोरबा	1. कटघोरा
		सरगुजा	1. सूरजपुर
			2. प्रतापपुर
			3. पाल
			4. वाड्रफनगर
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
			2. सोनहत
			3. मनेन्द्रगढ़
			4. भरतपुर
		जशपुर नगर	1. जशपुर
			2. बगीचा
4.	सोयाबीन	दुर्ग	1. धमधा
			2. बेरला
			3. साजा
			4. बेमेतरा

(1)	(2)	(3)	(4)
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
			5. डोंगरगांव
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा)
			2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली
5.	तुअर	रायपुर	1. सिमगा
		दुर्ग	1. धमधा
			2. बेरला
			3. साजा
			4. बेमेतरा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा)
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
		दन्तेवाड़ा	1. कोन्टा
		बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड
			2. मुंगेली
		कोरबा	1. कटघोरा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. लुण्ड्रा
			3. सूरजपुर
			4. सीतापुर
			5. प्रतापपुर
			6. पाल
			7. वाड्रफनगर
			8. सामरी
			9. राजपुर
		कोरिया	1. बैकुंठपुर
			2. मनेन्द्रगढ़
			3. भरतपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
		जशपुर नगर	1. कुनकुरी
			2. बगीचा
			3. पत्थलगांव
		रायगढ़	1. धर्मजयगढ़
			2. लैलूंगा
6.	मक्का	कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोण्डागांव
			3. केशकाल
			4. नारायणपुर
		कांकेर	1. भानुप्रतापपुर
			2. अंतागढ़
			3. पखांजूर
		दन्तेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
			2. बीजापुर
			3. कोन्टा
		बिलासपुर	1. पेन्ड्रारोड
			2. कोटा
		कोरबा	1. कटघोरा
			2. पाली
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. राजपुर
			3. लुण्ड्रा
			4. सूरजपुर
			5. सीतापुर
			6. प्रतापपुर
			7. पाल
			8. वाड्रफनगर
			9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुंठपुर
			2. सोनहत
			3. मनेन्द्रगढ़
			4. भरतपुर
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
		जशपुर नगर	1. जशपुर
			2. बगीचा
			3. पत्थलगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	मूंगफली	महासमुन्द	1. महासमुन्द
			2. सरायपाली
			3. बसना
		बिलासपुर	1. मुंगेली
			2. पेण्ड्रारोड
		जांजगीर-चांपा	1. डभरा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सीतापुर
			3. सूरजपुर
			4. प्रतापपुर
			5. पाल
		रायगढ़	1. रायगढ़
			2. सारंगढ़
			3. घरघोड़ा
			4. लैलूंगा
			5. धर्मजयगढ़
		जशपुर नगर	1. बगीचा
			2. पंत्थलगांव
8.	तिल	रायपुर	1. गरियाबंद
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा)
			2. पण्डरिया
		दन्तेवाड़ा	1. कोन्टा
		कोरबा	1. कटघोरा
		सरगुजा	1. पाल
			2. सूरजपुर
			3. वाड्रफनगर
		कोरिया	1. मनेन्द्रगढ़
			2. भरतपुर
		रायगढ़	1. घरघोड़ा
			2. धरमजयगढ़
9.	ज्वार	बस्तर	1. जगदलपुर
		दन्तेवाड़ा	1. कोन्टा

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2007

क्रमांक क/8 अ/82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	चांदन प. ह. नं. 24	1.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	अमरूवा जलाशय के अंतर्गत चांदन वितरक नहर निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2007

क्रमांक/क/वा.-भू. अ./आ.वि.अ./प्र. क्र.-19-अ 82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नै की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	गोबरा नवापारा प. ह. नं. 161/34	802	0.255	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बिलाहीघाट पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
			803	0.121		
			830/7	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			857/4-5	0.052		
			830/4, 10 से 15	0.125		
			830/18	0.020		
			योग 6	**0.978**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक 3173 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रिसदी	0.081	अधीक्षण यंत्री (सिविल), संभाग क्रमांक 3, कोरबा पूर्व.	राखड़ बांध हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/59.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	पेण्ड्री प.ह.नं. 40	0.129	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	पिथमपुर डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/60.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	शुक्लाभाठा प.ह.नं. 10	0.328	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	ससहा डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 मई 2007

क्रमांक/3277/प्र-1/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	सुन्दरा	0.03	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग बालोद संभाग, बालोद.	ओरमा-भोथली-सुन्दरा मार्ग में भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 मई 2007

क्रमांक/3277/प्र-1/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	ओरमा	0.39	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग बालोद संभाग, बालोद.	ओरमा-भोथली-सुन्दरा मार्ग में भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तेलीपाली प. ह. नं. 26	3.274	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	तेलीपाली जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुसमुरा प. ह. नं. 3	13.791	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जोरापाली प. ह. नं. 11	4.685	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	धनागर प. ह. नं. 11	11.258	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतरा प. ह. नं. 9	9.847	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	खोखरा प. ह. नं. 26	12.841	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोहरसिंह प. ह. नं. 24	5.411	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तरेकेला	6.958	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3644/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कन्हारपुरी प. ह. नं. 64	0.162	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए हैं. (अनुपूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3645/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कुमरदा प. ह. नं. 61	1.208	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए हैं. (अनुपूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3646/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुर्सीटिकुल, प. ह. नं. 64	1.016	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए हैं. (अनुपूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3647/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गिरगांव प. ह. नं. 10	10.188	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3648/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गोडरी, प. ह. नं. 20	7.889	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3649/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	दीवानझिटिया, प. ह. नं. 07	5.105	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3650/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	दीवानभेड़ी प. ह. नं. 20	11.424	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3651/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बीजाभांठा प. ह. नं. 20	18.870	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3652/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	डोंडकी, प. ह. नं. 10	2.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	डोंडकी व्यपवर्तन के मुख्य बांध कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 मई 2007

क्रमांक/3274/01/अ/82 सन् 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुरूर
- (ग) नगर/ग्राम-नारागांव, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.70 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
888/2	0.38
890	0.18
891	0.12
892	0.03
894	0.38
898	0.14
899	0.13
900	0.14
897	0.17
902	0.32
903	0.10
905	0.02
904	0.09
836	0.28
835	0.16
833	0.03
834	0.28
770	0.38
770	0.37
योग 19	3.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंगरोकोना उलट वियर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कौहाकुंडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.859 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22/2	0.405
28	0.696
29/1	0.040
29/2	0.081
30/2	0.138
31	0.287
33/1	0.672
33/2	0.134
34/1	0.299
34/2	0.210
42/1	0.142
42/2	0.061
42/3	0.749
43/1	0.275
43/2	0.324
38/2	0.049
44	0.182
45	0.117
46	0.376
49/2	0.081
50/1	0.336
50/2	0.672
51	0.065
52	0.206
53	0.947
54	0.101
55	0.214
योग	7.859

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आवासीय कालोनी निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सह भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/3654/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-विक्रमपुर, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.48 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
257	0.29

(1)	(2)
255/4	0.21
271/2	0.02
589	0.35
284/2	0.01
287/2	0.05
296/2	0.06
337	0.10
579	0.25
594	0.10
597	0.32
255/1	0.04
599/1	0.01
271/4	0.16
279	0.26
581/2	0.01
287/3	0.13
283/3	0.01
338/1	0.22
582	0.33
593/1	0.08
598	0.27
255/2	0.14
269/1	0.08
271/3	0.02
578	0.06
294/3	0.11
287/4	0.06
596/2	0.02
340	0.17
590/1	0.13
593/2	0.15
255/3	0.15
270	0.33
274	0.24
284/1	0.12
284/7	0.05
280	0.01
336	0.06
284/3	0.11
590/3	0.15
592	0.04
योग	5.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गंजी-गंजा जलाशय अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधि., खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 5 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गगोरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.733 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
160, 13, 14	0.165
359/3, 360/2	0.126
708/2, 3	0.020
359/1, 361/1	0.028
562/1	0.021

(1)	(2)
563/1, 564/1 ख	0.016
160/5	0.069
408/1	0.069
716	0.085
408/2	0.053
397/1	0.004
397/2	0.004
399/2	0.045
160/12	0.008
227/1	0.008
225/2	0.028
225/1	0.028
226/1	0.011
226/2	0.011
226/3	0.011
226/2	0.041
212/1	0.081
231/1	0.032
232/3	0.008
334/1	0.036
234/3	0.024
234/5	0.024
209, 327	0.041
334/2	0.086
334/3	0.018
233	0.032
331	0.041
400	0.177
402/1	0.044
208	0.012
402/2	0.041
234/2	0.012
243	0.012
234/4	0.069
234/1	0.016
244/2	0.057
213	0.052
214	0.052
357	0.020
210/1	0.065
211/1, 2	0.004
326	0.004
211/2	0.004
207, 332/1	0.036
332/2	0.004
333/1	0.020
333/2	0.021
361	0.137
362/1	0.020
562/4, 563/4, 564/1 ख	0.028
358/3	0.040
399/3	0.077
715	0.024
234/2	0.012
714/2	0.008
160/6	0.024
714/1	0.341
562/2, 563/2, 564/1 ग	0.028
निजी भूमि	2.733

शासकीय भूमि

	(1)	(2)
	708/1	0.728
कुल योग	63	3.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रायकोना जलाशय के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 6 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भिनोदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.037 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
623	0.077
601/1	0.133
595	0.008
596	0.064
554	0.056
553	0.084
552	0.024
493/2	0.016
558	0.077
492	0.141
530/2	0.008
530/1	0.008
491/2	0.024
493/3	0.016
486/1	0.048
485	0.028
446/1	0.016
446/2	0.012
442/2, 445	0.044
444/4, 452/3	0.020
493/1	0.049
494	0.012
452/2	0.028
486/3	0.016
486/2	0.016
440	0.012
निजी भूमि 26	1.037

शासकीय भूमि

428/1 न	0.004
428/1 क	0.279
योग 2	0.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रायकोना जलाशय के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अंर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मई 2007

क्रमांक 02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  (ख) तहसील-जांजगीर
  (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुभांठा, प. ह. नं. 43
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-155.96 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
417	0.88
418	0.17
424/1 ख	0.22
425/1	0.22
439/3	0.22
430/5	0.14
369/15	2.00
1287/8	0.32
1288/3	1.02
1288/9	0.25
1288/10	0.33
369/10	2.00
436/3	0.20
1259/4	0.50
1257/1	0.06
1257/2	0.05
1258/1	0.35
1258/2	0.36
1259/1	0.50
1259/2	1.33

(1)	(2)	(1)	(2)
1259/3	1.33	1287/9	0.13
378	0.34	1288/8	0.14
382	0.42	1290	0.07
391/1	0.06	426	0.15
394/1	0.40	1286/17	0.30
389	0.40	369/13	2.50
396/1	0.42	1288/2	0.28
369/16	1.00	441	0.12
408/1	0.36	369/7	1.50
427/4	0.08	398/2, 399/2	0.50
430/2	0.15	435/1	0.26
434/5	0.17	369/14	2.00
369/3	2.50	433/2	0.24
434/2	0.17	377	0.24
372/3	0.55	383	0.26
1326/3	0.43	379	0.16
408/2	0.30	390	0.04
434/1	0.16	392/3	0.05
1269/2	0.50	430/4	0.15
1269/3	0.50	409	0.72
369/2.	1.50	411	0.23
1288/5	0.31	427/1	0.18
380	0.24	430/1	0.10
384	0.32	430/3	0.04
376	0.22	440/1	0.23
1291	0.05	397	0.42
1292	0.24	431	0.24
1293	0.10	442	0.17
1321	0.65	433/1	0.22
407	0.25	436/1	0.14
429	2.33	437	0.11
1297	0.05	438	0.10
1298	0.07	443/2	0.10
1280	0.12	414	0.80
1311	0.74	415/2	0.27
1312	0.84	1299	0.07
388	0.10	402/8	0.49
395	0.12	427/2	0.07
396/2	0.18	427/3	0.32
424/1 ग	0.55	434/4	0.17
425/2	0.42	434/3	0.17
439/2	0.59	1279	0.26
369/6	1.50	372/4	0.19
369/8	1.50	402/6	0.13
1294	0.08	1282/3	0.05
405/1	0.57	1283/1, 1286/2 क	0.27
		1285, 1286/1	1.36

(1)	(2)	(1)	(2)
1284/2	0.50	1286/8	0.18
1286/19	0.40	1286/11	0.40
1288/6	0.07	1286/16	0.42
1308/2	0.27	1288/1	0.07
1309/1	0.35	1295/1	0.56
1310	0.23	1296	2.30
1324	1.02	1307	0.83
1326/2	1.60	1308/1	0.27
1322	0.63	1323	0.39
1320	0.65	1326/1	0.67
1327/1	0.74	1253/5	0.77
1253/7	0.84	1266/6	0.83
369/12	1.50	1305	0.20
1286/10	0.15	1327/2	0.50
1287/2	0.75	1269/4	0.89
1287/6	0.80	1270	0.06
402/9	0.22	1281	1.64
369/4	2.00	1286/6	0.14
369/11	1.50	1304	0.13
1278/1	0.82	1261	0.82
1278/2	0.12	1262	0.74
369/9	2.50	372/5	0.18
402/1	0.21	402/7	0.14
435/2	0.34	1211/2, 1254	1.36
369/5	1.50	1282/2	0.55
1286/12	1.10	1283/3, 1286/2 ग	0.26
1256/2	1.10	1286/20	0.40
410/1	0.30	1288/7	0.06
410/2	0.10	1295/2	0.25
412	0.28	1309/2	0.35
436/2	0.50	1308/3	0.28
413	0.38	1315	0.27
401	0.68	1318	0.78
402/5	0.75	1319/2	0.22
1283/2	0.35	1271/5	1.30
1286/2 ख	0.07	1287/7	0.26
1288/4	0.13	1286/18	0.15
398/1	1.08	1276	0.04
399/1	0.37	400/1	0.65
415/1	0.13	1253/1	2.42
1289	0.03	1273	0.10
405/2	0.40	1274	0.29
372/2	0.19	1277	0.05
402/2	0.13	1253/6	0.42
1282/1	0.56	1266/3	0.50
1286/5	0.16	1313	0.10

(1)	(2)
1275	0.71
402/3	0.13
402/4	0.62
402/10	0.63
1287/5	0.80
1286/3	1.30
1286/4	0.20
1286/7	0.16
1286/9	1.06
1286/14	0.70
1286/15	0.10
1287/4	0.21
1287/1	0.92
1287/3	0.24
370/2	0.15
420	0.14
421	0.03
422	1.21
439/1	0.59
1253/4	2.84
1266/2	2.03
1267	1.05
1271/2	1.15
1271/4	0.37
1314	0.55
1256/1	0.49
406	0.83
1319/1	0.44
1266/1	1.27
1253/3	0.81
1008	1.08
1316	0.27
1494	2.11
1211/1	2.60
391/2	0.04
392/2	0.03
393	0.28
394/2	0.10
373/1	0.58
331	1.74
440/2	0.05
1268	0.65
1255	2.23
404	1.11
373/3	0.57
374	0.56
375	0.10
443/1	1.27
1317	0.20
371	1.29
416/1	0.54
416/2	0.50
1284/1	1.69
1269/1	0.70
400/2	0.70
1253/2	2.64
1266/4	0.55
373/2	0.58
428	0.76
423	0.23
1253/8	0.33
1266/5	0.55
1271/1	0.30
1271/3	1.15
1272	0.60
385/1	0.92
385/2	0.23
योग 271	155.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत गृह निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मई 2007

क्रमांक 04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-मड़वा, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-151.79 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2/2	0.04
8/3	0.45
86/1	0.17
91	0.30
196/3	0.30
2/4	0.01
9/2	0.27
262	0.30
36	0.38
2/9	0.06
2/5	0.05
106	0.30
214/2 ग	0.58
215	0.12
221/1	0.71
2/6	0.02
13/1	0.16
14/1	0.02
17/4	0.05
2/8	0.08
195/1	0.24
214/1 क	0.32
214/2 क	0.06
221/4	0.44
2/10	0.08
42/1	0.04
43/1	0.04
2/11	0.09
2/12	0.42
2/13	0.36
285	0.80
286	0.30
277/1	0.28
277/3	0.04
278	0.41
284	0.67
287	0.51
297/3	0.20
297/2	0.28
2/14	0.18
93	0.09
94/1	0.16
2/15 क	0.12
195/3	0.25
214/1 ग	0.32
214/2 घ	0.05
221/2	0.81
221/6	0.44
2/15 ख	0.12
195/4	0.24
198	0.31
221/3	0.81
221/7	0.44
2/16	0.13
169/1	0.20
174	0.15
158	0.14
169/2	0.63
2/18	0.02
13/2	0.15
14/6	0.03
17/7	0.04
2/19	0.03
13/3	0.15
14/4	0.02
17/8	0.05
34	0.25
222	0.25
2/20	0.02
13/4	0.16
14/5	0.02
17/9	0.05
120/1	0.36
101/6	0.16
3/2	0.09
87/1	0.34
84/2	0.10
101/8	0.21
225	0.37
3/3	0.09
11/6	0.12
87/2	0.06
101/11	0.21
11/4	0.04
17/5 ख	0.08
3/4	0.09
87/3	0.11
26/5	0.38
101/13	0.20
3/7	0.04
85/2	0.43
100/2	0.32
101/1	0.39

(1)	(2)	(1)	(2)
101/10	0.24	156	0.49
101/12	0.23	12/1	0.31
101/15	0.23	12/2	0.31
154/1	0.22	261/2	0.23
153/4	0.30	265/1	0.09
153/5	0.30	14/2, 14/3	0.08
4	0.66	17/1 क	0.10
5/1	1.75	18/1	0.04
5/2	0.02	19/2	0.08
6/1	0.08	22/1 क	0.50
5/3	0.06	15	1.48
6/2	0.20	140	0.14
11/3	0.22	17/1 ख	0.02
17/5 ग	0.02	17/2 ख	0.02
5/4	0.07	17/3 ख	0.17
6/3	0.60	18/2	0.20
196/2	0.30	17/2 क	0.03
7	1.57	21/1	0.76
196/1	0.39	103	0.65
194/3	0.41	105	0.21
191/2	0.25	17/3 क	0.03
187	0.35	19/1	0.37
8/1	0.40	28/2	0.56
22/1 ग	0.26	26/4	0.53
22/1 च	0.27	27	0.56
175	0.18	2/3	0.01
179/1	0.19	8/4	0.40
183	0.48	9/1	0.33
184	0.35	20/1	0.34
185/1	0.25	20/2	0.25
185/2	0.70	25/1	0.49
10	0.28	16	0.20
17/6	0.03	21/2	0.04
102	0.36	22/2	0.45
104	0.50	22/1 ख	0.40
11/1	0.30	141	0.08
11/2	0.36	161	0.46
17/5 क	0.10	23/1	0.26
40/4	0.35	23/2	0.26
84/3	0.36	23/3	0.26
101/4	0.10	24/1	0.31
118/4	0.20	86/2	0.01
119/2	0.29	100/1	0.21
123/2	0.25	100/3	0.17
3/6	0.09	152/2	0.36
11/5	0.20	24/2	0.32

(1)	(2)	(1)	(2)
79	0.20	186/1	0.25
82	0.11	186/2	0.25
88	0.15	191/6	0.26
152/1	0.36	35/2	0.40
25/2	0.35	59/1 क	0.23
25/3	0.35	166/3	0.20
25/4	0.50	217/1 क	0.15
31	0.23	217/5 क	0.55
32/1	0.20	3/5	0.09
86/3	0.46	37	0.41
218	0.68	38	0.27
241/2	0.30	56/1	0.56
151/4	0.18	39	0.47
26/1	0.49	168	0.06
56/2	0.72	217/4	0.60
59/2	0.20	40/2	0.35
26/2	0.37	83/4	0.29
35/3	0.71	147/1	0.31
35/4	0.54	40/3	0.80
40/1	0.65	83/1	0.40
59/1 ख	0.13	83/2	0.80
83/3	0.17	268/1	0.20
101/3	0.12	276/1	0.20
26/3	0.53	40/5	0.34
85/1	0.08	101/5	0.45
28/3	0.26	101/7	0.30
29	0.75	101/9	0.10
54	0.25	120/2	0.20
63	0.06	153/2	0.17
32/2	0.28	153/3	0.17
58	0.28	55	0.40
61/2	0.12	40/6	0.31
202	0.24	41/1	0.20
205/3	0.15	51	0.28
206	0.42	52	0.25
226, 227	0.47	276/2	0.58
32/3	0.31	281/2	0.22
33/2	0.18	41/2	1.85
57/1	0.02	80	0.33
61/1	0.12	81/2	0.40
201	0.22	81/3	0.20
205/2	0.15	281/1	0.48
209	0.06	41/3	0.75
210	0.08	41/4	0.75
211/1	0.02	42/2	0.02
33/1	0.24	43/2	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
44	0.18	177/2	0.14
45/1	0.32	217/2	0.12
45/2	0.16	217/6	0.44
46	0.14	84/5	0.26
47	0.04	84/6	0.13
48/1	0.36	96	0.22
50	0.06	101/16	0.22
131/1	0.35	119/3	0.13
194/1	0.40	223	0.39
194/2	0.09	84/1	0.15
213/1	0.10	84/4	0.10
213/3	0.10	84/7	0.05
259	0.36	84/8	0.28
48/2	0.15	101/17	0.10
53	0.12	101/18	0.22
258	0.44	123/1	0.25
49	0.45	90	1.00
271/2	0.46	95	0.11
56/3	0.56	92	1.95
118/1	0.42	94/2	0.54
166/2	0.40	97	0.16
173	0.34	261/1	0.22
181/2	0.34	267/2	0.07
219/1	0.11	267/1	0.07
219/2	0.30	265/2	0.08
60/1	0.13	98/1	0.20
60/2	0.32	99/3	0.05
143	0.22	98/2	0.19
167	0.55	99/4	0.06
62	0.39	99/1	0.25
204	0.19	99/2	0.25
101/19	0.20	101/2	0.13
205/1	0.15	101/14	0.10
211/2	0.04	118/2	0.20
212/1	0.03	119/1	0.14
212/2	0.09	164	0.34
271/1	0.57	2/7	0.02
77	0.39	117	0.80
78	0.31	191/1	0.06
181/1	0.17	118/3	0.23
83/5	0.15	122	1.08
165	0.51	124	0.40
166/1	0.05	125	0.48
217/3	0.64	126/1	0.30
83/6	0.07	131/3	0.05
147/2	0.17	126/2	0.40
		131/4	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
131/2	0.35	172	0.17
136/2	0.05	177/1	0.31
220	0.68	275	0.29
132	0.30	277/4	0.14
134	0.26	178	0.86
133	0.44	179/2	0.18
188	0.14	185/3	0.43
176	0.10	272	0.18
135/1	0.17	282	0.33
135/2	0.31	189	0.13
135/3	0.33	190	0.16
136/1	0.67	191/3	0.31
138	0.24	191/5	0.26
139	0.22	191/4	0.26
142	0.37	191/7	0.46
197	0.22	193	0.44
144	0.22	195/2	0.24
146/1	0.24	214/1 ख	0.32
146/4	0.46	214/2 ख	0.05
150/2	0.48	221/5	0.44
241/4	0.18	196/4	0.53
260	0.52	199	0.40
146/2	0.22	213/2	0.25
146/5	0.78	203	0.40
147/3	0.25	217/1 ख	0.15
147/4	0.14	235	0.36
148/1	0.08	207	0.32
149	0.39	208	1.15
148/2	0.25	216	1.41
150/1	0.42	273/1	0.14
241/5	0.30	217/5 ख	0.76
151/1	0.24	219/3	0.25
151/3	0.19	219/4	0.12
153/1	0.09	228	0.37
192	0.30	239	0.82
159	0.70	236	0.12
154/2	0.22	237/1	0.16
155	0.30	237/2	0.12
283	0.71	238	0.28
157	0.31	263/1	0.24
81/1	0.52	263/2	0.24
160	0.31	263/3	0.20
162	0.28	240/2	1.30
163	0.30	146/3	0.02
170	0.29	241/1	0.46
180	0.48	241/6	0.14
171	0.22	241/3	0.84
182	0.41	263/4	0.18

(1)	(2)
266/1	0.19
266/2	0.19
60/3	0.36
224/1	0.41
224/2	0.40
268/2	0.29
8/2	0.20
268/3	0.14
269	0.27
270	0.08
273/2	0.20
274	0.26
276/3	0.60
277/2	0.25
297/1	0.34
297/4	0.46
297/5	0.45
30/1	0.33
30/2	0.33
30/3	0.33
30/4	0.32
30/5	0.32
89	0.83
35/1	0.48
297/6	0.12
57/2	0.10
200	0.43
264	0.90
221/8	0.28
145	0.32
137	0.40
240/1	0.29
20/3	0.10
28/1	0.29
3/1	0.05
279	0.88
280	0.62
योग 503	151.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत गृह निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मई 2007

क्रमांक 226/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
636/1, 636/2	0.085
योग 1	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पासीद मायनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मई 2007

क्रमांक 227/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  (ख) तहसील-जैजैपुर
  (ग) नगर/ग्राम-गुचकुलिया, प. ह. नं. 10
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.312 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/3	0.040
13	0.081
84	0.061
2	0.008
11	0.069
137/8	0.053
योग 6	0.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुंचकुलिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 30 अप्रैल 2007

क्रमांक 12/ख.लि./2007.—गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्री एस. के. मिश्रा, आ. स्व. श्री एन. डी. मिश्रा ई-9, आदर्श नगर, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मुढ़ीपार	राजनांदगांव	188/2	1.00	चूनापत्थर	निजी भूमि	पट्टा निरस्त होने के कारण

टीप : भूमि स्वामी की सहमति अनिवार्य होगी.

डी. डी. सिंह,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 21st May 2007

No. 235/Confdl./2007/II-1-1/2007 Pt.B.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13022/4/2006-US.II dated May 11, May 2007 isued by the Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Jagdish Bhalla, Judge of Allahabad High Court has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in the forenoon of May 19, 2007.

Bilaspur, the 21st may 2007

No. 237/Confdl./2007/II-1-1/2007 Pt.B.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 11019/1/2007-US.II dated May 18, 2007 isued by the Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Jagdish Bhalla, Seniormost Judge of Chhattisgarh High Court has assumed the duties of the office of Chief Justice of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur from the forenoon of May 19, 2007.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.